To Control Illegal Encroachment

25. Shri CHIRANJEEV RAO (Rewari):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- a) the steps taken by the Government to control illegal encroachment in the State ; and
- b) the fines imposed by the Government on such encroachments from the year 2015 till to date ?

Dr. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA

- a) The municipalities take action against the illegal encroachments under section 408 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and under section 181 of Haryana Municipal Act, 1973.
- b) Since the year 2015 to 12.12.2023 total number of 9505 illegal encroachments have been removed by the municipalities from municipal land. The total amount of Rs. 2,29,000/- (Rupees two lakh twenty nine thousand only) has been imposed as fine by the municipalities against such encroachments from the year 2015 till 12.12.2023.

अवैध अतिक्रमण को नियन्त्रित करना

25 श्री चिरंजीव राव (रेवाड़ी):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- राज्य में अवैध अतिक्रमण को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ; तथा
- 2. वर्ष 2015 से आज तक इन अतिक्रमणों पर सरकार द्वारा लगाये गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है ?

डॉ० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

- नगर पालिकाओं द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ हिरयाणा नगर निगम अधिनियम,
 1994 की धारा 408 तथा हिरयाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 181 के तहत कार्रवाई की जाती हैं।
- 2. वर्ष 2015 से 12.12.2023 तक नगर पालिकाओं द्वारा पालिका भूमि से हटवाये गये अवैध अतिक्रमणों की कुल संख्या 9505 है। वर्ष 2015 से 12.12.2023 तक नगर पालिकाओं द्वारा ऐसे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कुल 2,29,000 / रूपये (दो लाख उन्नतीस हजार केवल) का जुर्माना लगाया गया है।